संख्या-2/बी०एल०-1207/07 श्र०सं 2257

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार

संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 24.5.16

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वयन हेतु के राज्यांश के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्रावधानित सामान्य श्रेणी के बंधुआ मजदूरों लिए ₹ 140.00 लाख (₹एक करोड़ चालीस लाख),अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों लिए ₹55.00 लाख ₹ पचपन लाख) एवं अनुसूचित जन जाति के बंधुआ मजदूरों के लिए 5.00 लाख (₹ पाँच लाख) अर्थात कुल राशि ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़) मात्र तथा केन्द्रांश के अन्तर्गत 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख) के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि गत वर्षो की भाँति वित्तीय वर्ष 2016-2017 में भी केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास योजना का अवधी विस्तार ₹ 20,000/- (बीस हजार) प्रति बंधुआ मजदूर की लागत पर किया जायेगा। पुनर्वास पर व्यय होने वाली राशि का वहन राज्य एवं केन्द्र सरकार 50:50 के अनुपात में करती है। इस प्रकार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार का हिस्सा 10,000/-(दस हजार), 10,000/-(दस हजार) कुल 20,000 (बीस हजार) मात्र प्रति बंधुआ मजदूर होता है। इस हेतु राज्यांश के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्रावधानित सामान्य श्रेणी के बंधुआ मजदूरों लिए ₹ 140.00 लाख (₹ एक करोड़ चालीस लाख), अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों लिए ₹ 55.00 लाख (₹ पचपन लाख) एवं अनुसूचित जन जाति के बंधुआ मजदूरों के लिए 5.00 लाख (₹ पाँच लाख) अर्थात कुल राशि ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़) मात्र तथा केन्द्रांश के अन्तर्गत 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख)के व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96वि०(2) दिनांक-03.01.2008 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है-

2. <u>राज्यांश की राशि</u> **(I)** सामान्य बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230 श्रम तथा रोजगार- उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112- बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0101- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 2230011120101) राज्य योजना स्कीम कोड LAB-5233 के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

(क)	21-01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	1600000/-
(ख)	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	-	12400000/-
	कुल योग	-	14000000/-

रूपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र ।

(II) अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष- 2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड- पी० 2230017890102) राज्य योजना स्कीम कोड LAB-5552 के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

(क)	21-01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	900000/-
(ख)	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	-	4600000/-
	कुल योग	-	5500000/-

रूपये पचपन लाख मात्र ।

(III) अनुसूचित जन जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष - 2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग

सं०-26-उप शीर्ष 103- बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम(विपत्र कोड-पी० 2230017960103)के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

(क)	21-01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	50000/-
(ख)	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	-	450000/-
	कुल योग	-	500000/-रूपये पाँच लाख मात्र ।

अर्थात (i)+(ii)+(iii) के तहत राज्यांश की कुल राशि ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़) मात्र।

3. <u>केन्द्रांश की राशि-</u>

इसके अतिरिक्त उपर्यक्त तीनों विपत्र शीर्षो के तहत बंधुआ मजदूरों को उपलब्ध कराई गई राज्यांश राशि के विरूद्ध केन्द्रांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष- 2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112- बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0201-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड- पी० 2230011120201) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ - 12000000/-

रूपये एक करोड़ बीस लाख मात्र ।

4. उक्त के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में <u>1200 बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है</u>, जिसके विषयवार अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार है:-

(क)	बंधुआ मजदूर के पुनर्वास पर होने वाला केन्द्रांश की राशि	₹10,000x1200	बंधुआ मजदूर	12000000
(ख)	i) बंधुआ मजदूर के पुनर्वास पर होने वाला राज्यांश की राशि	₹10,000x1200	बंधुआ मजदूर	12000000
	ii)लक्ष्य से अधिक विमुक्त होने बाले कुल अनुमानित 485 बंधुआ मजदूर के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि पर होने वाले व्यय के लिए सुरक्षित रखी गयी राशि	₹10,000x485	बंधुआ मजदूर	4850000
(ग)	अन्य राज्यों/जिलों से बंधुआ मजदूरों के विमुक्ति के पश्चात् उन्हें घर तक पहुँचाने का अनुमानित मार्ग व्यय	₹ 500 x1200	बंधुआ मजदूर	600000
(घ)	विमुक्ति पश्चात बंधुआ मजदूरों का भोजन, नास्ता, वस्त्र, दवा आदि पर अनुमानित व्यय	₹ 500 x1350	बंधुआ मजदूर	675000
(ङ)	पुनर्वास के उपरान्त 30 दिन के राशन पर अनुमानित व्यय	₹1,500 x 1250	बंधुआ मजदूर	1875000
	कुल योग			**32000000**

रूपये तीन करोड़ बीस लाख मात्र ।

5. इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 1200 बंधुआ मजदूरों के पुर्नवास पर विभिन्न मदों में प्रावधानित राज्यांश/अन्य राशि तथा लक्ष्य से अधिक विमुक्त होने वाले कुल अनुमानित 485 बंधुआ मजदूर के पुनर्वास पर होने वाला राज्यांश की राशि पर होने वाले व्यय के लिए सुरक्षित रखी गयी राशि, सामान्य बंधुआ मजदूर के लिए ₹ 140.00 लाख (₹ एक करोड़ चालीस लाख), अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के लिए ₹ 55.00 लाख (₹ पचपन लाख) एवं अनुसूचित जन जाति के बंधुआ मजदूरों के लिए 5.00 लाख (₹ पाँच लाख) अर्थात कुल रूपये ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उपर्यक्त तीनों विपत्र शीर्षो के तहत बंधुआ मजदूरों को उपलब्ध कराई गई राज्यांश राशि के विरूद्ध केन्द्रांश के अन्तर्गत 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प सं० 96 वि (2) दि० 03.01.08 मे प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निर्गत किया जाता है । यह चालू योजना है।

7. वित्तीय वर्ष के 2016-17 के माह जुलाई, 16 तक के चार माह के लिए लेखा अनुदान पारित किया गया है । वित्त विभाग के ज्ञापांक-2793/वि० दिनांक-04.04.2016 के अन्तर्गत उपबंधित राशि का एक तिहाई व्यय किया जा सकेगा ।

8. प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन पृ०-104/टि० पर प्राप्त है।

9. प्रस्ताव/प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०-105/टि० पर प्राप्त है।

10. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/ संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/ श्रमायुक्त के सचिव, पटना होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार होगें ।

11. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से संबंधित मामलों के पुनर्वास की राशि अविलम्ब विमुक्त की जायेगी ।

विश्वासभाजन

(शैलेश कुमार) 20/5/16

संयुक्त सचिव ।

20/5/16

ज्ञापांक-2/बी०एल०-1207/07 श्र०सं० 2257 पटना, दिनांक 24.5.16

प्रतिलिपि:- अवर सचिव श्रम एवं रोजगार मत्रांलय, भारत सरकार जैसलमेर हाउस मानसिंह रोड नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(शैलेश कुमार) 20/5/16

संयुक्त सचिव ।

20/5/16

ज्ञापांक-2/बी०एल०-1207/07 श्र०सं० 2257 पटना, दिनांक 24.5.16

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी / संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी उप श्रमायुक्त / सभी सहायक श्रमायुक्त / सभी श्रम अधीक्षक / श्रमायुक्त के सचिव / सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-06 (श्रम पक्ष) एँवं प्रशाखा-02 (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(शैलेश कुमार) 20/5/16

संयुक्त सचिव ।

20/5/16